uxj iapk;r HkksVk] ftyk gehjiqj fgekpy izns'k ds ys[kkvksa dk vads{k.k izfrosnuA

vof/k 4@2007 ls 3@2010

Hkkx&,d

1 xr vads{k.k %& गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है :–

¼d½ vads{k.k izfrosnu vof/k 5@82 ls 3@90 rd

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 7(च)	अनिर्णीत
3	पैरा 7(छ)	अनिर्णीत
4	पैरा 7(ज)	अनिर्णीत
5	पैरा 7(झ)	अनिर्णीत

¼[k½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@92 ls 3@95 rd

1	पैरा 10(8)	अनिर्णीत
2	पैरा 11(क)	अनिर्णीत
3	पैरा 12(1)	अनिर्णीत
4	पैरा 12(2)	अनिर्णीत

¼x½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@95 ls 3@2003 rd

1	पैरा 10(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 11(ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 11(ग)	अनिर्णीत

4	पैरा 11(घ)	अनिर्णीत
5	पैरा 11(ङ)	अनिर्णीत
6	पैरा 11(च)	अनिर्णीत
7	पैरा 11(ण)	अनिर्णीत
8	पैरा 11(ट)	अनिर्णीत
9	पैरा 11(ठ)	अनिर्णीत
10	पैरा 12	अनिर्णीत
11	पैरा 13(ii)	अनिर्णीत
12	पैरा 13(iii)	अनिर्णीत

¼?k½ vad{k.k ifrosnu vof/k 4@2003 ls 3@2007 rd

1	पैरा 2(i)	अनिर्णीत	
2	पैरा 2(ii)	निर्णीत	पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/07 से 3/10 के पैरा 11 में दी गई है।
3	पैरा 2(iii)	निर्णीत	पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/07 से 3/10 के पैरा 11 में दी गई है।
4	पैरा 3	अनिर्णीत	
5	पैरा 4(i)	अनिर्णीत	
6	पैरा 4(ii)	निर्णीत	पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/07 से 3/10 के पैरा 7 में दी गई है।
7	पैरा 4(iii)	अनिर्णीत	

8	पैरा 4(iv)	अनिर्णीत	
9	पैरा 4(v)	अनिर्णीत	
10	पैरा 4(vi)	अनिर्णीत	
11	पैरा 4(vii)	अनिर्णीत	
12	पैरा 4(viii)	अनिर्णीत	
13	पैरा 4(ix)	अनिर्णीत	
14	पैरा 4(x)(a)	निर्णीत	₹750 की वसूली रसीद संख्याः 45/030 के द्वारा करके दिनांक 07.09.10 को बैंक में जमा करवा दिया गया।
15	पैरा 4(x)(b)	निर्णीत	आवष्यक कार्यवाही कर के दिखा दी गई।
16	पैरा 4(x)(c)	अनिर्णीत	
17	पैरा 4(x)(d)	निर्णीत	आवष्यक कार्यवाही कर के दिखा दी गई।
18	पैरा 4(xi)	अनिर्णीत	
19	पैरा 4(xii)	निर्णीत	नगर पंचायत द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त।
20	पैरा 4(xiii)	अनिर्णीत	
21	पैरा 5(i)	अनिर्णीत	
22	पैरा 5(ii)	अनिर्णीत	
23	पैरा 5(iii)	अनिर्णीत	
24	पैरा 5(iv)	अनिर्णीत	

25	पैरा 5(v)	निर्णीत	₹784.00 की वसूली रसीद संख्याः 45/31 के द्वारा करके दिनांक 04.09.10 को बैंक मे जमा करवा दी गई।
26	पैरा 5(vi)	निर्णीत	₹585.00 की वसूली रसीद संख्याः 45/32 के द्वारा करके दिनांक 07.09.10 को बैंक मे जमा करवा दी गई।
27	पैरा 5(vii)	अनिर्णीत	
28	पैरा 5(viii)	अनिर्णीत	
29	पैरा 6(i)	अनिर्णीत	
30	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत	
31	पैरा 6(iii)	अनिर्णीत	
32	पैरा 6(iii)(a)	अनिर्णीत	
33	पैरा 6(iii)(b)	अनिर्णीत	
34	पैरा 6(iii)(c)	अनिर्णीत	
35	पैरा 6(iv)	निर्णीत	₹45.00 की वसूली करके दिनांक 07.09.10 को जमा करवा दी गई।
36	पैरा 6(v)	अनिर्णीत	
37	पैरा 6(vi)	अनिर्णीत	
38	पैरा 6(vii)(a)	अनिर्णीत	
39	पैरा 6(vii)(b)	अनिर्णीत	

40	पैरा 6(vii)(c)	अनिर्णीत
41	पैरा 6(vii)(d)	अनिर्णीत
42	पैरा 6(vii)(e)	अनिर्णीत
43	पैरा 6(viii)	अनिर्णीत
44	पैरा 6(ix)	अनिर्णीत
45	पैरा 6(x)	अनिर्णीत
46	पैरा 6(xi)	अनिर्णीत
47	पैरा 7(i)	अनिर्णीत
48	पैरा 7(i)(a)	अनिर्णीत
49	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत
50	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत
51	पैरा 7(iv)	अनिर्णीत
52	पैरा 7(v)	अनिर्णीत
53	पैरा 7(vi)	अनिर्णीत
54	पैरा 7(vii)	अनिर्णीत
55	पैरा 7(viii)	अनिर्णीत
56	पैरा 7(ix)	अनिर्णीत

Hkkx&nks

2 orZeku vads{k.k %&

(क) नगर पंचायत भोटा का वर्तमान अंकेक्षण अवधि 4/2007 से 3/2010 तक अजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 10.06.10 से 11.06.10 तक 28.06.10 से 15.07.10 व 23.08.10 से 08.09.10 तक भोटा में किया गया जिस के परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों मे वर्णित है। आय व व्यय की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

o"kZ	vk;	O;;
2007—08	12/2007	9/2007
2008—09	7/2008	7/2008
2009—10	3/2010	6/2009

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों का विवरण निम्नलिखित है :—

(1) v/;{k %&

Øe la[;k	v/;{k dk uke	vof/k
1	श्रीमति गीता देवी	03.07.2007 से अब तक

(2) lfpo %&

Øe la[;k	lfpo dk uke	vof/k
1	श्री के0एल0 ठाकुर	01.09.2006 से 03.05.2007
2	श्री अजमेर सिंह	22.05.2007 से 21.06.2007
3	श्री कन्हैया राम	22.06.2007 से 13.02.2008
4	श्री पी0सी0 शर्मा	29.08.2008 से 19.12.2009
5	श्री वी0के0 शर्मा	04.01.2010 से अब तक

3 foÙkh; fLFkfr %&

अंकेक्षण के दौरान नगर पंचायत भोटा की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

o"kZ	izkjfEHkd 'ks"k	o"kZ esa vk;	;ksx	[kpZ	vfUre 'ks"k
2007–08	3,21,219.00	2,28,316.00	5,49,535.00	2,88,641.00	2,60,894.00
2008–09	2,60,894.00	3,85,440.00	6,46,334.00	3,87,047.00	2,59,287.00
2009–10	2,59,287.00	4,72,992.00	7,32,279.00	4,17,746.00	3,14,533.00

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वित्तीय स्थिति को नगर पंचायत भोटा के सचिव द्वारा उपलब्ध करवायी गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है। विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों तक सीमित है।

4 vads{k.k 'kqYd %&

अवधि 4/2007 से 3/2010 तक के अंकेक्षण शुल्क का आंकलन ₹17,400.00 किया गया। उपरोक्त राशि को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः शून्य, दिनांक 21.09.10 द्वारा सचिव, नगर पंचायत भोटा से रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ''निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, षिमला–171009'' के नाम भेजने का अनुरोध किया है। इस राशि को संस्था द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्याः 703550, दिनांक 02.11.10 के द्वारा प्रेषित कर दिया गया।

5 ¼d½ nfofu;kstu@xou dh xbZ jkf'k dks tek djokus ckjs %&

नगर पंचायत भोटा की अवधि 4/2007 से 3/10 तक की रोकड़ बहियों व बैंक खातों का अवलोकन करने पर पाया गया कि रोकड़ बहियों में प्राप्त राशियों में से कम राशि बैंक खातों में जमा करवायी गई जिसके परिणाम स्वरूप ₹2,81,002.00 की राशि का दुर्विनियोजन/गवन किया गया था। इस राशि को बैंक खातों में जमा करवाने सम्बन्धित अभिलेख को प्रस्तुत करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः शून्य दिनांक 01.09.2010 द्वारा सचिव, नगर पंचायत भोटा से आग्रह किया गया लेकिन

सम्बन्धित कर्मचारी उपरोक्त अभिलेख प्रस्तुत करने में असफल रहा और उस ने इस राशि के गवन / दुर्विनियोजन करने को स्वीकारते हुए पूर्ण राशि के0सी0सी0 बैंक भोटा शाखा के खाता संख्याः 061–डी0पी0–036004751 में दिनांक 06.09.2010 को जमा करवा दी। गवन की गई राशि की वर्षबार विवरणी निम्नलिखित है।

o"kZ 2007&2008

ekl	vk; jksdM+ cgh vuqlkj izkIr vk;	cSad esa tek djok;h xbZ jkf'k	de tek jkf'k@vUrj
4 / 07	1,79,536.00	1,73,888.00	5,648.00
5 / 07	16,390.00	4,100.00	12,290.00
6 / 07	16,725.00	12,968.00	3,757.00
7 / 07	1,73,758.00	1,67,816.00	5,942.00
8 / 07	9,655.00	4,267.00	5,388.00
9 / 07	2,49,089.00	2,47,813.00	1,276.00
10 / 07	37,679.00	37,588.00	91.00
11 / 07	5,36,898.00	5,32,974.00	3,924.00
12 / 07	2,50,655.00	2,48,322.00	2,333.00
01 / 08	17,165.00	3,300.00	13,865.00
2 / 08	31,365.00	19,040.00	12,325.00
3 / 08	2,43,194.00	2,39,965.00	3,229.00
	o"kZ esa dqy de tek djok;h xbZ jkf'k		70]068-00

o"kZ 2008&2009

ekl	vk; jksdM+ cgh vuqlkj izkIr vk;	cSad esa tek djok;h xbZ jkf'k	de tek jkf'k@vUrj
4 / 08	2,04,584.00	2,01,014.00	3,570.00
5 / 08	4,552.00	3,854.00	698.00

6／08	49,730.00	30,363.00	19,367.00
7／08	5,58,478.00	5,41,168.00	17,310.00
8／08	5,637.00	—	5,637.00
9／08	51,759.00	41,885.00	9,874.00
10／08	12,063.00	—	12,063.00
11／08	20,651.00	6,600.00	14,051.00
12／08	5,43,975.00	5,37,878.00	6,097.00
01／09	73,882.00	63,314.00	10,568.00
2／09	11,044.00	8,300.00	2,744.00
3／09	67,264.00	64,249.00	3,015.00
	o"k e dy de tek djok;h xbl jkf'k		1]04]994-00

o"k 2009&2010

ekl	vk; jkdM cgh vu|lkj ikIr vk;	cd e tek djok;h xbl jkf'k	de tek jkf'k@vUrj
4／09	5,229.00	3,300.00	1,929.00
5／09	1,19,135.00	1,14,807.00	4,328.00
6／09	23,591.00	6,600.00	16,991.00
7／09	2,77,396.00	2,54,533.00	22,863.00
8／09	7,131.00	8,586.00	1,455.00
9／09	2,85,895.00	2,81,422.00	4,473.00
10／09	71,794.00	61,976.00	9,818.00
11／09	13,473.00	3,300.00	10,173.00
12／09	2,88,121.00	2,83,426.00	4,695.00
01／10	20,335.00	12,600.00	7,735.00

02／10	49,212.00	46,120.00	3,092.00
03／10	3,32,283.00	3,12,440.00	19,843.00
	o"k e: d|y de tek djok;h xbl jkf'k		1]05]940-00

उपरोक्त के अतिरिक्त अनुपालना हेतु परामर्ष दिया जाता है कि अवधि 4／2007 से पहले व 3／2010 के बाद रोकड़ बही में प्राप्त आय का मिलान बैंक खातों में जमा करवायी गई राशि से किया जाए और अन्तर की स्थिति में राशि को दोषी से वसूल करके नगर पंचायत खातों में जमा करवाया जाए।

¼[k½ xou@nfofu;ktu jkf'k ij n.M C;kt dh olyh ckj %&

हलांकि गवन／दुर्विनियोजित राशि को अंकेक्षण के बताने पर दोषी द्वारा मौके पर जमा करवा दिया लेकिन इतनी गम्भीर अनियमितता के लिए दोषी के विरूद्ध उचित कार्यवाही अमल में लाई जानी आपेक्षित है तथा इसके अतिरिक्त इतनी लम्बी अवधि तक दुर्विनियोजन／गवन राशि पर दण्ड ब्याज की वसूली अपने स्तर पर की जाए तथा प्राप्त राशि वसूली अपने स्तर पर की जाए तथा प्राप्त राशि को नगर पंचायत खाते में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

(ग) अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रयोग की गई रसीद बुकों का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्नलिखित रसीदों की मुल प्रतियों को रसीद प्राप्ति के रूप में काट कर जारी कर दिया था लेकिन डुप्लीकेट कापी बिना कार्बन के खाली रखी गई जिस के कारण अंकेक्षण में यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि मूल प्रति कितनी राशि की प्राप्ति हेतु जारी की गई थी और न ही इन रसीदों द्वारा प्राप्त राशियों को रोकड़ बही व बैंक खातों में जमा करवाया गया। यह एक गम्भीर अनियमितता है और इस की छानबीन करके मूल प्रतियों के द्वारा प्राप्त राशि की वसूली दोषी से करके नगर पंचायत खातों में जमा करवायी जाए।

th&8 jlhn cd l[;k	jlhn l[;k
29	49 व 50
43	44 से 50 तक

6 th&8 jlhn cdk dk y[kk tk[kk u j[ku ckj %&

नगर पंचायत भोटा द्वारा रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर नहीं लगाया गया जिससे यह प्रमाणित हो सकता कि संस्था द्वारा कितनी व किस किस क्रमांक की रसीद बुकें छपवायी, उन में से कितनी प्रयोग में लाई गई और कितनी शेष बची हैं यह एक महत्वपूर्ण अभिलेख हे और इस का रख–रखाव

ठीक ढंग से न करना गवन जैसी अनियमितताओं को बढ़ावा देने के बराबर है। अतः इस अभिलेख को पूर्ण करके अंकेक्षण को दिखाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

7 भारत दूर संचार निगम हमीरपुर को नगर पंचायत भोटा द्वारा निर्मित भवन में किराये के रूप में दिए गए कमरों से प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्ष 2007–08 2008–09 व 2009–10 में प्रत्येक वर्ष ₹3,300 प्रति की दर से 12 मास का किराया लिया जाना व बैंक खाते में जमा करवाया जाना आपेक्षित था जबकि उपरोक्त वर्षों में 12 मास के स्थान पर 11 मास का किराया ही बैंक खातों में जमा करवाया गया। संस्था द्वारा किराये से सम्बन्धित रजिस्टर को पूरा न किए जाने के कारण यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि उपरोक्त 12 मासों के किराये में से एक मास का किराया जो प्राप्त नहीं हुआ किस मास से सम्बन्धित था। अतः इस मामले की विस्तृत जाँच करके स्पष्ट किया जाए कि 12 मास का किराया प्राप्त हो चुका है अन्यथा कम वसूली के कारणों का पता लगाकर शेष बची राशि को सम्बन्धित विभाग से प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को यथासमय अवगत करवाया जाए।

8 x`gdj ,oa Hkou fdjk;s dh ₹9]56]163-00 dh olwyh ckdh %&

अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट ग व ध में संस्था द्वारा प्रस्तुत विवरणों के अनुसार ₹9,56,163.00 की राशि बतौर गृहकर व भवनों के किराये के रूप में वसूली के लिए शेष थी जिसका विवरण निम्नलिखित है :–

1. गृहकर	7,27,919.00
2. भवनों का किराया	2,28,244.00
	9,56,163.00

नगर पंचायत भोटा प्रषासन द्वारा करों की वसूली से सम्बन्धित कार्य को गम्भीरता से नहीं लिया गया जिस कारण प्रषासन की लापरवाही साफ परिलक्षित होती है। निदेषक, शहरी विकास के पत्र संख्याः यु0एल0बी(ए)1/87–9237–9284, दिनांक 20.06.2001 में करों की वसूली शत/प्रतिषत करने के निर्देश जारी किए गए थे जिन को अनुपालना न करते हुए स्थिति जैसी की तैसी बनी हुई थी। अतः करों की वसूली जो गत कई वर्षों से शेष चली आ रही है, को गम्भीरता से करके अनुपालना से यथाषीघ्र इस कार्यालय को सूचित किया जाए।

9 नगर पंचायत क्षेत्र के निवासियों द्वारा बिजली के उपभोग की कुल युनिट पर 1 पैसा प्रतियुनिट की दर से प्राप्त की जाने वाली राशि से सम्बन्धित नगर पंचायत द्वारा कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत

नही किया गया जिससे यह प्रमाणित/सत्यापित किया जा सकता कि बिजली बोर्ड द्वारा जमा करवायी गई राशि की गणना सही थी। अतः भविष्य में अनुपालना हेतु परामर्ष दिया जाता है कि नगर पंचायत क्षेत्र के निवासियों द्वारा उपभोग की गई बिजली की कुल खपत का ब्यौरा बिजली बोर्ड से लेकर उस का मिलान बिजली बोर्ड द्वारा जमा करवायी गई राशि से किया जाना सुनिष्चित किया जाए तथा गत मासों में प्राप्त की गई राशि की सत्यापना हेतु वांछित अभिलेख बिजली बोर्ड से प्राप्त करके मिलान किया जाए।

10 jkdM+ cgh dk lR;kiu u djus ckjs %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत भोटा की जनरल रोकड़ बही जो संस्था की मुख्य रोकड़ बही है को अवधि 01.05.2007 से 02.06.2009 तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया जो एक गम्भीर अनियमितता है यही कारण था कि नगर परिषद खातों से निधियों के दुर्विनियोजन/गवन का मामला सामने आया। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 1971 के पैरा 2(2)(ग) में यह प्रावधान किया गया है कि रोकड़ बही की प्रत्येक प्रविष्टि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित की जाएगी लेकिन आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय नियमों को नजरांदाज करते हुए अपने कर्तव्य निभाने में असफल रहे। इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 1, दिनांक 23.08.10 द्वारा सचिव को अवगत करवाया गया था तथा वांछित कार्यवाही करने का पूरा समय दिया गया था इस के बावजूद भी कोई प्रयत्न नहीं किया गया। अतः यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में इस आष्य से लाया जाता है कि नगर पंचायत के पदों पर आसीन रहे आहरण एवं वितरण अधिकारियों से वित्तीय नियमों के अर्न्तगत अपने कर्तव्यों को परिभाषित करने बारे कहा जाए तथा उन की लापरवाही से नगर पंचायत को हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने बारे निर्देश जारी किए जाऐं तथा कृत कार्यवाही से यथाशीघ्र इस विभाग को अवगत करवाएं।

11 uxj iapk;r [kkrks dh cSad lek/kku fooj.kh rS;kj djus ckjs %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा रोकड़ बही का मिलान बैंक खातों से नहीं किया गया और न ही प्रत्येक मास के अन्त में संचालित बैंक खातों की समाधान विवरणी बनाई गई। जिससे प्रतीत होता है कि नगर पंचायत प्रषासन लेखों के रख–रखाव में गम्भीर नहीं है। अतः अनुपालना हेतु परामर्ष दिया जाता है कि प्रत्येक मास के अन्त में रोकड़ बही का मिलान बैंक खातों से कर के बैंक समाधान विवरणी बनाई जाए ताकि गवन जैसी अनियमितताओं पर अंकुश लगाया जा सके।

12 fuof’kr jkf'k ij vftZr C;kt dk bUnkt jkdM cgh esa u djus ckjs %&

संस्था द्वारा दिनांक 06.09.2007 को सावधि जमा योजना में अर्जित ब्याज को रोकड़ बही में जमा नहीं किया गया जिस कारण रोकड़ बही के अनुसार अर्जित ब्याज की राशि से वित्तीय स्थिति कम आंकी गई तथा प्रत्येक वर्ष यह प्रक्रिया दोहराई जा रही थी जो लेखांकन पद्धति के विरूद्ध है। अतः सावधि जमा योजना पर अर्जित ब्याज की राशि का रोकड़ बही में जमा किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाऐं।

13 x`gdj dh ikfIr grq le; ij fcfyax u djuk %&

नगर पंचायत भोटा द्वारा गृहकर की वसूली हेतु नगर पंचायत क्षेत्र मे रहने वाले कर दाताओं के समय पर बिल नहीं दिए जाते जो संस्था प्रषासन का वित्तीय स्थिति को कमजोर बनाने का मुख्य कारण रहा है। उद्धाहरण स्वरूप वर्ष 2008–09 के लिए माह 10/2009 से लेकर 7/10 तक गृहकरों की प्राप्ति हेतु बिल जारी किए गए तथा वर्ष 2009–10 के लिए अंकेक्षण की समाप्ति अर्थात 08.09.2010 तक बिलिंग नहीं की गई थी जो एक गम्भीर अनियमितता है। अतः करों की उगाही हेतु समय पर बिलिंग न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा कोताही बरतने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध अनुषासनात्मक कार्यवाही करके भविष्य में यह सुनिषिचित किया जाए कि गृहकरों व भवनों के किराये से सम्बन्धित बिलिंग समय पर की जाए तथा करों की वसूली को प्राथमिकता दी जाए ताकि नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाया जा सके।

14 ekax ,oa olwyh jftLVj dk j[k&j[kko mfpr <ax ls u djus ckjs %&

गृह कर व भवन किराये की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर पंचायत भोटा द्वारा प्रत्येक करदाता का लेखा–जोखा खातावार नहीं बनाया गया जिसके अभाव में यह सत्यापित नहीं किया जा सकता कि प्रत्येक करदाता से किसी विषेष माह के अन्त में कितनी राशि लेनी शेष है जबकि नियमानुसार प्रत्येक करदाता का वार्षिक खाता जिसमें माह वार देय कर व उस की वसूली का हिसाब रखा जाना अपेक्षित था तैयार नहीं किया गया। अतः अनुपालना हेतु परामर्ष दिया जाता है कि उपरोक्त अभिलेख तैयार करवाया जाए ताकि यह सुनिष्चित किया जा सके कि किस कर दाता से कितनी राशि वसूल की जानी शेष है।

15 i’kqc/k x`g jftLVj u yxk, tkus ckjs %&

नगर पंचायत भोटा द्वारा पषु बध गृह रजिस्टर जिसमें प्रत्येक दिन काटे गए पषुओं पर प्राप्त कर का विवरण दिया जाना आपेक्षित था नहीं लगाया गया। जिसके अभाव में यह सुनिष्चित नहीं किया

जा सका कि इस सन्दर्भ में जमा करवायी गई राशि वास्तव में पषुबध गृह में काटे गए पषुओं की संख्या के अनुसार सही थी या नहीं। उपरोक्त अभिलेख तैयार कर के अगले अंकेक्षण पर दिखाया जाए।

LFkkiuk

16 l’kksf/kr osruekuksa ds bUnzkt lsok iaftdkvksa esa u djus ckjs %&

नगर पंचायत भोटा मे कार्यरत कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 01.01.2006 से संषोधित वेतनमानों के इन्द्राज सेवा पंजिकाओं में नहीं किए गए जबकि कर्मचारियों को संषोधित वेतनमानों के आधार पर वेतन का भुगतान किया जा रहा था। यह एक गम्भीर अनियमितता है एफ0आर0 एण्ड एस0आर, पार्ट–1 के नियम एस0आर–199 में यह प्रावधान किया गया है कि कर्मचारी के कार्यकारल में हुए प्रत्येक फेर–बदल जिसमें वेतन से सम्बन्धित परिवर्तन का हिसाब/लेखा–जोखा भी शामिल है, के इन्द्राज सेवा पंजिका में किया जाएगा। अतः नियमों के अनुसार कार्य प्रणाली को व्यावहारिक रूप से न चलाए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा संषोधित वेतनमानों के इन्द्राज सेवा पंजिका में किए जाएं तथा इनमें की गई प्रत्येक प्रविष्टि को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाया जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

17 osru fu/kkZj.k dks vuqeksfnr u djokus ckjs %&

नगर पंचायत भोटा द्वारा अपने कर्मचारियों को संषोधित वेतनमानों के आधार पर वेतन दिया जा रहा है लेकिन नये वेतनमानों से सम्बन्धित वेतन निर्धारण आदेषों को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित नहीं करवाया गया जो एक गम्भीर अनियमितता है। अतः बिना अनुमोदन के कर्मचारियों को संषोधित वेतनमान पर वेतन देने का औचित्य स्पष्ट किया जाए क्योंकि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना दिया गया संषोधित वेतन मान वैद्य/देय नहीं था। अनौपचारिक रूप से किए गए भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 ctV esa fd, x, izko/kku ls vf/kd jkf'k dk Hkqxrku %&

वर्ष 2008–2009 के वार्षिक बजट में स्थापना पर व्यय हेतु ₹7,20,000.00 का प्रावधान किया गया था जबकि नगर पंचायत भोटा द्वारा इस राशि के विरूद्ध ₹9,72,169.00 का भुगतान स्थापन मद पर किया गया। अन्तर की राशि ₹2,52,169.00 की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं की गई और न ही इस राशि को नगर पंचायत सभा द्वारा अनुमोदित किया गया। अतः बजट में किए गए प्रावधान से अधिक राशि के भुगतान को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

19 Hkqxrku %&

मास 9/2007 में वाऊचर संख्या 73 के द्वारा अभियन्ता अजय कालिया Govt Contractor, Ward No. 4 हमीरपुर को ₹2,38,921.00 का भुगतान बिजली का सामान क्रय करने हेतु किया गया। उपरोक्त वाऊचर का अवलोकन करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :–

(1) फर्म द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल पर न तो आबकारी एंव कराधान विभाग की बिक्री कर की पंजीकरण संख्या अंकित थी और न ही बिल की क्रमांक संख्या व दिनांक अंकित थी बावजूद इसके संस्था द्वारा उपरोक्त सामान की खरीद पर मूल्य वर्द्धित कर के रूप में ₹26,546.00 का भुगतान किया गया। अतः फर्म से पक्का बिल न लेकर लैटर पैड पर बनाए गए बिल को भुगतान हेतु स्वीकार करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा कराधान एवं आबकारी विभाग से इस बिल में दिए गए मूल्य वर्द्धित कर को जमा होने का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाए या अनौपचारिक रूप से नियमों के विरूद्ध किए गए भुगतान की वसूली दोषी से कर के नगर पंचायत खाते में जमा करवायी जाए।

(2) बिजली का सामान खरीदने हेतु नगर पंचायत भोटा द्वारा प्राप्त 4 फर्मों की निविदाओं का अवलोकन करने पर पाया गया कि मैं0 हमीर इलैक्ट्रीकल हमीरपुर व नरेन्द्रा इलैक्ट्रिकल हमीरपुर की निविदाऐं ही डाक द्वारा प्राप्त की गई जबकि मैं0 अजय कालिया हमीरपुर व मैं0 पटियाल इलेक्ट्रिकल विझडी की निविदाऐं व्यक्तिगत स्तर पर प्राप्त की गईं हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम की परिशिष्ट 10 के नियम 9(1) के अनुसार इस खरीद की प्रमात्रा व राशि को मध्यनजर रखते हुए इस कार्य की आपूर्ति हेतु टैण्डर/निविदाओं के आमन्त्रण समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर किया जाना आपेक्षित था लेकिन संस्था द्वारा इस प्रक्रिया को न अपनाकर निविदाऐं व्यक्तिगत स्तर पर प्राप्त करके वित्तीय नियमों की खुलेआम अवहेलना की है। यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः नियमों के विरूद्ध कार्य करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

(3) नगर पंचातय भोटा द्वारा उपरोक्त सामान खरीदने हेतु बनायी गई निविदा आमन्त्रण सूचना के अनुसार संविदाकार द्वारा सामान की आपूर्ति आई0एस0आई0 मार्क की करने का प्रावधान किया गया था लेकिन मै0 अजय कालिया द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल में सामान की निर्माता कम्पनी का नाम व उस का ब्राण्ड अंकित नहीं किया गया था जिसके अभाव में यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि खरीदा गया सामान आई0एस0आई0 मार्क का ही था या घटिया स्तर का। अतः अनुपालना हेतु परामर्ष दिया जाता है कि उपरोक्त वाऊचर के द्वारा खरीदे गए सामान की निर्माता कम्पनी व उसके ब्राण्ड को सत्यापित/प्रमाणित करवाया जाए कि खरीदा गया सामान संस्था की मांग के अनुरूप था। कृत कार्यवाही से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

(4) संस्था द्वारा बिजली के सामान के रख–रखाव हेतु लगाए गए स्टॉक रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि खरीदे गए सामान में से कितनी मदें किसे जारी की गई जिनकी पावतियाँ प्राप्त नहीं की गई तथा स्टॉक से जारी किए गए सामान किस वार्ड से कौन सी जगह स्थापित किया गया जिसके समर्थन में सम्बन्धित वार्ड/स्थान पर बिजली का सामान लगाने हेतु दर्ज षिकायत का हवाला स्टॉक रजिस्टर में दिया जाना आपेक्षित था। अतः अनुपालना हेतु परामर्ष दिया जाता है कि स्टॉक रजिस्टर में उपरोक्त समस्त सूचनाओं का हवाला दिया जाए।

(5) उपरोक्त के अतिरिक्त संस्था द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर बिजली के पुराने उपकरण/सामान खराब होने पर नये उपकरण स्थापित किए जाते हैं तथा पुराने अप्रयोग योग्य सामान जिसे नीलामी द्वारा बेच कर आय अर्जित की जा सकती है, के रख–रखाव हेतु "Dead Stock Register" नहीं लगाया है। जिसके अभाव में पुराने उपकरण जो खराब होने पर बदल कर नये लगाये जाते हैं का मिलान स्टॉक रजिस्टर में नहीं किया जा सका। अतः स्टॉक रजिस्टर में से जारी नये उपकरणों के आगे पुराने बदले गए उपकरण का विवरण दिया जाना सुनिष्चित किया जाए।

(6) नगर पंचायत द्वारा खरीदे गए सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन समय–समय पर नहीं किया गया जो एक गम्भीर अनियमितता है। अतः भण्डार में पड़े स्टोर/स्टॉक का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन नियमानुसार करवाना सुनिष्चित करें तथा सत्यापन उपरान्त अनुपयोग्य सामान की नियमानुसार निलामी करके प्राप्त आय को नगर पंचायत खातों में जमा करवाया जाए।

20 fufonk vkeU=.k gsrq foKkiu lekpkj i=ksa esa u nsuk %&

(1) मास 6/2008 के वाऊचर संख्या 60, दिनांक 30.06.2008 द्वारा मैं0 हिमालय मार्ड्रन इन्जीनियरिंग वर्कस ज्वालामुखी जिला कांगड़ा से उनके बिल संख्याः 288, दिनांक 27.06.2008 के माध्यम से ₹1,32,356.00 का बिजली का सामान खरीदा गया। संस्था द्वारा प्राप्त निविदाओं का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त सामान हेतु आमन्त्रित निविदाओं का आमन्त्रण समाचार पत्रों में विज्ञापन न देकर व्यक्तिगत स्तर पर प्राप्त की गई जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 1971 खण्ड–II की परिशिष्ट 10 के पैरा 9(1) में किए गए प्रावधान के अनुसार इस खरीद हेतु निविदओं का आमन्त्रण समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर करना आपेक्षित था। अतः नियमों के विरूद्ध किए गए कार्य का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति लेकर इस सामान की खरीद को नियमित करवाया जाए। अनुपालना अगले अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

(2) उपरोक्त खरीदे गए बिजली के सामान के स्टॉक रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्तमान अंकेक्षण करने की तिथि तक स्टॉक रजिस्टर में इस सामान के उपयोग करने का कोई

विवरण नहीं दिया था जिसके अभाव में यह सत्यापित नहीं किया जा सकता कि वास्तव में संस्था को कितने सामान की आवष्यकता थी जिसे खरीद के तुरन्त बाद उपयोग मे लाया गया और कितना अभी भी स्टॉक/भण्डार में शेष पड़ा है। अतः आपेक्षित अभिलेख तैयार करके अगले अंकेक्षण पर दिखाया जाए तथा भविष्य में यह सुनिषिचित किया जाए कि सामान की खरीद आवष्यकतानुसार ही की जाए।

21 okLrfod ikfIr jlhnsa iLrqr u djus ckjs %&

नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित वाऊचरों के द्वारा किए गए भुगतान से सम्बन्धित वास्तविक प्राप्ति रसीदें अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई जिस कारण किए गए भुगतान को सत्यापित नहीं किया जा सका। अतः इन की रसीदें प्राप्त करके अगले अंकेक्षण पर दिखायी जाए।

okÅpj la[;k	Hkqxrku dk fooj.k	jkf'k
55	बिजली का बिल	8,011.00
58	दूरभाष बिल का भुगतान	1,640.00
59	फर्निचर खरीदने सम्बन्धित बिल	28,470.00

22 jk"Vªh; efyu cLrh lq/kkj dk;Øe fuf/k %&

मास 7/2008 मे वाऊचर संख्याः 78, द्वारा रैहन बसेरा भवन के निर्माण का कार्य जो संविदाकार श्री राकेश परमार हमीरपुर को आबंटित किया गया था का अवलोकन करने पर नीचे दी गई त्रुटियां पाई गई :–

(1) कार्य आबंटन पत्र संख्याः 1226/एन0पी0भोटा–197–202, दिनांक 07.07.2006 की शर्त 4 के अनुसार उपरोक्त कार्य को निष्पादित करने हेतु 1 वर्ष का समय तय किया गया था जबकि संविदाकार को प्रथम चलत बिल का भुगतान व उसके द्वारा निष्पादित कार्य की पैमाईश दिनांक 30.06.2008 को की गई। नगर पंचायत के कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौखिक रूप में बताया गया कि रैहन बसेरा का निर्माण कार्य अभी भी अर्थात मास 9/2010 तक चला हुआ था। कार्य आबंटन शर्तों के अनुसार कार्य समय सीमा में निष्पादित न होने पर संविदाकार से दण्ड स्वरूप ₹150.00 प्रतिदिन या कार्य की कुल निर्माण लागत का 1% वसूल किया जाएगा। अंकेक्षण की समाप्ति तक संविदाकार द्वारा समय में बढ़ौतरी हेतु कोई आवेदन नहीं किया था। अतः संविदाकार के अन्तिम बिल से अनुबंध की शर्तों के अनुसार उपरोक्त दण्ड की वसूली करना सुनिष्चित की जाए।

(2) रैहन बसेरा भवन के निर्माण कार्य सम्बन्धि प्रथम चलत बिल का अवलोकन करने पर निम्नलिखित मदों की गणना गलत पाई गई जिस के परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹826.00 का अधिक भुगतान किया गया। अतः इस राशि की वसूली करके नगर पंचायत खाते में जमा करवाई जाए।

en la[;k	eki iqfLrdk ds vuqlkj ek=k	vkd{k.kkuqlkj lgh ek=k	xYkrh ls nh xbZ vf/kd ek=k	nj	vf/kd Hkqxrku
1	70.03 Cum	67.65 Cum	2.38 Cum	100	238.00
2	25.51 Cum	25.19 Cum	.32 Cum	1400	448.00
39 अतिरिक्त मद	8.68 Cum	8.58 Cum	0.10 Cum	1403.30	140.00
				dqy	826-00

(3) संविदाकार से इस कार्य के आबंटन सम्बन्धि हुई (Negociation) तोल–मोल के अनुसार कुल निर्माण लागत का ½% की छूट देना तय हुई थी लेकिन संविदाकार को प्रथम चलत बिल के भुगतान स्वरूप ₹5,56,777.00 अदा किए गए। इस राशि पर Negociation के अनुसार ₹2,784.00 की वसूली की जानी थी लेकिन नगर पंचायत भोटा द्वारा छूट की वसूली न करके भुगतान किया गया। अतः अनुपालना हेतु परामर्ष दिया जाता है कि संविदाकार के अतिंम बिल से इस राशि की वसूली की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाएं।

23 fctyh fcyksa dk ys[kkadu u djus ckjs %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा बिजली बिलों के लेखांकन हेतू रजिस्टर तैयार नहीं किया गया जिसके अभाव में यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि बिजली बोर्ड द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिलों में दर्षाई गई पुरानी व नवीनतम मीटर रिडिंग सही थी या नहीं। अतः अनुपालना हेतु परामर्ष दिया जाता है कि बिजली बिलों के लेखांकन हेतु रजिस्टर तैयार किए जाएं।

24 njHkk"k jftLVj rS;kj u djus ckjs %&

नगर पंचायत कार्यालय में स्थापित दूरभाष से प्रतिदिन की जाने वाली कॉल्ज़ के लेखांकन हेतु रजिस्टर नहीं लगाया गया है जिसके अभाव में यह सुनिष्चित नहीं किया जा सका कि कितनी कॉल्ज़ नगर पंचायत कार्यालय से सम्बन्धित थी और कितनी/व्यक्तिगत कार्यालय दूरभाष के गलत उपयोग पर अंकुश लगाने की दृष्टि से रजिस्टर लगाया जाना आवष्यक है। अतः भविष्य में दूरभाष रजिस्टर लगाया जाए तथा प्रत्येक कॉल का विवरण उसमें दिया जाए कि कौन सी कॉल किस नम्बर पर की गई और किस सन्दर्भ में की गई।

25 fu"d"kZ %& लेखाओं के रख–रखाव में अत्याधिक सुधार एवं कड़े पर्यवेक्षण की आवष्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या : फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-76/83–खण्ड–1 दिनांक, षिमला–171009.

प्रतिलिपि प्रेषित :–

(i) सचिव, नगर पंचायत भोटा, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।

(ii) निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–171002 को सूचनार्थ ।

(iii) वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले0 व ह0), हिमाचल प्रदेश शिमला–171003.

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

¼vuqi dqekj ?kkbZ½